बजट घोषणा वर्ष 2015-2016

क्रसं.	घोषणा बिन्दु	घोषणा
1	26-1-0-	आगामी वर्ष में भी reform linked assistance कार्यक्रम जारी रखते हुए करोड़ रुपये के 120 अनुदान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
2	26-2-0-	Rajasthan State Bus Terminal Authority का गठन भी किया जा रहा है। Authority को उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि एवं संसाधनों हेतु 300 करोड़ रुपये RSRTC को उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया जा रहा है।
3	26-3-0-	राज्य सरकार द्वारा यात्राओं पर दी जा रही विभिन्न रियायतों के लिए RSRTC को 160 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।
4	27-0-0-	वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 23 हजार निजी बसों के माध्यम से परिवहन सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं। विगत कुछ वर्षों से राज्य में सड़क तंत्र के विस्तार के कारण कई क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन सेवा का अभाव है। अतः मैं दूरदराज के- क्षेत्रों मे वैधानिक व सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1 हजार 500 नये मार्ग खोलने की घोषणा करती हूँ। नये मार्गों पर लगभग 6 हजार अतिरिक्त वाहन चलेंगे तथा 26 हजार व्यक्ति प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से-जुड़ेंगे।
5	28-0-0	राजस्थान में driving license एवं वाहनों को fitness certificate जारी करने की प्रणाली subjective एवं non-transparent है। मोटर वाहनों के fitness certificate एवं वाहन चालक लाईसेंस जारी करने हेतु सर्वप्रथम जयपुर में आधुनिक तकनीक से Integrated Computerised Fitness Centre and Fully Automated Driving Track का निर्माण निजी जनसहभागिता के आधार पर करवाया जायेगा।
6	28-1-0-	आधुनिक तकनीक से Integrated Computerised Fitness Centre and Fully Automated Driving Track का निर्माण निजी जनसहभागिता के आधार पर जयपुर के पश्चात् अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों पर भी लागू किया जायेगा।
7	29-1-0-	आगामी वर्ष में वाहन कर, वाहन पंजीयन, चालक लाईसेंस और अनुज्ञा पत्र से संबंधित सभी आवेदन online प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
8	30-0-0	सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागों यथा परिवहन, पुलिस, शिक्षा, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मध्य समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने हेतु Rajasthan State Road Safety Authority Act बनाया जायेगा। यह Authority प्रदेश में सड़क सुरक्षा संबंधी नीतिगत निर्णयों की पालना सुनिश्चित करायेगी।

9	309-0-0	वर्तमान में differently abled persons के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली Invalid Carriage पर देय एक बारीय कर में 100 प्रतिशत छूट है। ऐसे Carriage की उपलब्धता नहीं के बराबर होने के कारण इस छूट का लाभ physically challenged व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। Physically challenged लोगों के लिये retro fitment के माध्यम से इन Invalid Carriage को adaptable बनाया जाता है। अतः physically challenged लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 8 लाख रुपये तक की कीमत वाले ऐसे Adapted Invalid Carriage पर देय एक बारीय कर में 100 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
10	310-0-0	महिलाओं के सशक्तिकरण को दृष्टिगत रखते हुये नियमों में संशोधन कर लर्निंग लाइसेन्स एवं चालक लाइसेन्स फीस में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
11	311-0-0	मैंने अभी RIPS-2014 के अन्तर्गत Tourism sector को कई लाभ प्रस्तावित किये है। पर्यटन के क्षेत्र में Recognised Tour Operators का भी अहम योगदान है। इसी क्रम में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु recognised tour operators की exclusive रूप से पर्यटकों को परिवहन करने वाली 30 बैठक क्षमता से अधिक की AC coaches पर)sleeper coaches को छोड़करदेय (Special Road Tax तीन वर्ष तक रियायत दिया जाना प्रस्तावित है।
12	312-0-0	पिछले बजट में 7500 किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के भार वाहन तथा Taxi एवं Maxi Cab श्रेणी के दिनांक 01.08.2014 से नये पंजीकृत होने वाले वाहनों पर एक वर्ष में 6 समान किश्तों में जमा कराने के विकल्प के साथ एक मुश्त कर अनिवार्य रूप से आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान अब इन्ही श्रेणियों के दिनांक 01.04.2007 या इसके बाद पंजीकृत हुये वाहनों पर भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।
13	313-0-0	केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित Transport Development Council द्वारा सभी प्रकार के Non-transport vehicle पर 6 प्रतिशत की दर से एक बारीय कर की Floor Rate अपनाये जाने की अनुशंसा की गई है। 125 सी तक इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर .सी.6 प्रतिशत की दर से एक बारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।
14	314-0-0	Purely off-highway vehicle की नई श्रेणी राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 में परिभाषित की गई है। इन वाहनों पर chassis के रूप में क्रय करने पर 7.5 प्रतिशत की दर से तथा Complete Body के साथ क्रय किये जाने पर 6 प्रतिशत की दर से एक बारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।
15	315-0-0	राज्य की परमिट धारी यात्री बसों के मोटर वाहन कर की वार्षिक देयता पर दिनांक 01.07.2003 से 12,000 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई है। इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
16	316-0-0	इस वित्तीय वर्ष में वाणिज्यिक कर विभाग, खान विभाग एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी की गई Amnesty Scheme का लाभ राज्य के dealers तथा नागरिकों द्वारा काफी संख्या में उठाया जा रहा है तथा राज्य को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसी क्रम में वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Amnesty Scheme लाई जाना प्रस्तावित है।

17	317-0-0	इस Amnesty Scheme के अन्तर्गत ऐसे वाहन जो अस्तित्व में नहीं है तथा नष्ट हो चुके है को vehicle destruction का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि के बाद का कर एवं penalty माफ करना प्रस्तावित है। इस हेतु वाहन मालिक को बकाया राशि दिनांक 30.06.2015 तक जमा करवानी होगी, तथा इसके पश्चात् वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त कर - दिया जायेगा।
18	318-0-0	इसके साथ ही मोटर वाहनों पर दिनांक 31.03.2012 तक के बकाया कर को दिनांक 30.06.2015 तक जमा कराने पर इस पर देय penalty को माफ किया जाना प्रस्तावित करती हूँ ।